

**अध्याय-1**  
**विहंगावलोकन**



## अध्याय 1: विहंगावलोकन

### 1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी के पास स्थित है। इसके 22 जिलों में से 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से यह 21वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से 18वां बड़ा राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार)। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.11 करोड़ से 20.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। राज्य की 11.16 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी जोकि अखिल भारतीय औसत 21.92 प्रतिशत से कम है। वर्तमान मूल्यों पर 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 8,95,672 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 75.60 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई (परिशिष्ट 1.1)। वर्ष 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,35,707<sup>1</sup> थी जो कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ₹ 1,26,855 से अधिक है।

#### 1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.), एक निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है जैसा कि तालिका 1.1 में दिखाया गया है।

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की तुलना में स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20 (पी.ई.)	2020-21 (क्यू.ई.)	2021-22 (ए.ई.)
वर्तमान मूल्य पर स.घ.उ.	1,70,90,042	1,88,99,668	2,00,74,856	1,98,00,914	2,36,64,637
गत वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.03	10.59	6.22	-1.36	19.51
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	6,38,832	6,98,189	7,62,044	7,58,507	8,95,672
गत वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ.की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.79	9.29	9.15	-0.46	18.08


स्रोत: भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण (2021-22) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हरियाणा

पी.ई. - अंतिम अनुमान, क्यू.ई. - त्वरित अनुमान, ए.ई. - अग्रिम अनुमान


2017-18 में स.घ.उ. की वृद्धि दर 11.03 प्रतिशत थी जो 2020-21 में घटकर (-) 1.36 प्रतिशत रह गई। स.रा.घ.उ. की विकास दर 13.79 प्रतिशत थी जो 2020-21 में घटकर (-) 0.46 प्रतिशत रह गई। हालांकि, यह 2021-22 में बढ़कर 18.08 प्रतिशत हो गई जो कि वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (19.51 प्रतिशत) की वृद्धि दर में बदलाव की तुलना में कम थी।

<sup>1</sup> स्रोत: हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 2021-22

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती है जिनका संबंध कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों से है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय विकास को **चार्ट 1.1 और 1.2** में चित्रित किया गया है। स्रोत: हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 2021-22।



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हरियाणा



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हरियाणा

जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय वृद्धि ने 2018-19 से 2020-21 के दौरान तीनों क्षेत्रों में घटती प्रवृत्ति दर्शाई, हालांकि, 2021-22 में इन क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई।

## 1.2 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार राज्य के लेखों से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधानसभा के सामने प्रस्तुत करवाएंगे। राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत तैयार तथा प्रस्तुत किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक रूप से राज्य के वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों को राजकोषों, कार्यालयों और राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले विभागों, जो इन लेखों को रखने के उत्तरदायी हैं, द्वारा प्रदान किए गए वाऊचरों, चालानों और प्रारंभिक एवं संबंधित लेखों एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों से तैयार करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित की जाती है।

इस प्रतिवेदन के लिए मूल सामग्री राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: राजकोषीय मानदंडों और आबंटन वरीयताओं अर्थात् परिपेक्ष्यों के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभाविकता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के मूल्यांकन के लिए;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और राजकोषों का अन्य डाटा;
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद का डाटा और राज्य से संबंधित अन्य आंकड़े; और
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (रा.उ.ब.प्र.), भारत सरकार (भा.स.) के श्रेष्ठतम प्रचलनों और मार्गनिर्देशों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया जाता है।

## 1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना निम्नलिखित पांच अध्यायों में की गई है:

अध्याय-1	<p><b>विहंगावलोकन</b></p> <p>यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है और अन्तर्निहित डाटा सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों का व्यापक वित्तीय विश्लेषण और घाटा/आधिक्य सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन करवाता है।</p>
अध्याय-2	<p><b>राज्य के वित्त</b></p> <p>यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिपेक्ष्य प्रदान करता है, गत वर्ष से संबंधित प्रमुख राजकोषीय सकल में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कुल प्रवृत्तियां, राज्य के ऋण की रूपरेखा और मुख्य लोक लेखा लेनदेनों की राज्य के वित्त लेखों के आधार पर समीक्षा करता है।</p>

<b>अध्याय-3</b>	<b>बजटीय प्रबंधन</b> यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन करता है।
<b>अध्याय-4</b>	<b>लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रचलनों की गुणवत्ता</b> यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों एवं विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
<b>अध्याय-5</b>	<b>राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम</b> यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा करता है जैसा कि उनके नवीनतम लेखों से पता चलता है।

#### 1.4 सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

##### भाग I: राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार से प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, ऋण-पत्र, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि, इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों की अदायगी में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से भारतीय संविधान में निहित कानून के अनुसार और उद्देश्य के अतिरिक्त किसी भी तरह से धन का विनियोग नहीं किया जा सकता। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण अदायगियां, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं और विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन हैं।

##### भाग II: राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जो कि राज्य विधानसभा द्वारा कानूनी रूप से स्थापित की जाती है और राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष के व्यय को डेबिट करके की जाती है।

##### भाग III: राज्य के लोक लेखे (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अलावा, प्राप्त सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा को जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में लघु बचतें और भविष्य निधियां, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण और उचंत शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लंबित रहते हस्तांतरण शीर्ष हैं) जैसे वापसी योग्य सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अधीन शामिल है। लोक लेखा विधानसभा के मतदान का विषय नहीं है।

## बजट दस्तावेज

भारत में संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के सदन के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की एक विवरणी प्रस्तुत की जाती है। 'वार्षिक वित्तीय विवरणी' में मुख्य बजट दस्तावेज हैं। आगे, बजट में राजस्व लेखा पर व्यय को अन्य व्ययों से अलग होना चाहिए।

**राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व (स्वयं का कर राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा), कर-भिन्न राजस्व और भारत सरकार से अनुदान शामिल हैं।

**राजस्व व्यय** में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। इसका संबंध सरकारी और अन्य सेवाओं के सामान्य कार्यचालन हेतु सरकार द्वारा ऋण पर किए गए ब्याज भुगतानों, विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन हेतु हो सकते हैं) हेतु किए गए व्यय से है।

**पूँजीगत प्राप्तियों** में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेनदेन और केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, इत्यादि।
- **गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां।


**पूँजीगत व्यय** में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेरों में निवेश और भारत सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. और अन्य दलों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर किए गए व्यय शामिल हैं।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रमुख और लघु शीर्षों की सूची में मानकीकृत	कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत प्रमुख शीर्ष (4-अंक)
	उप-कार्य	उप-प्रमुख शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	उद्देश्य शीर्ष - वेतन, लघु निर्माण कार्य, इत्यादि (2-अंक)

## सरकारी लेखे की संरचना

चार्ट 1.3: सरकारी लेखे की संरचना



स्रोत: बजट मैनुअल पर आधारित

## बजटीय प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय की विवरणी को **वार्षिक वित्तीय विवरणी** के रूप में राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाना है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, विवरणी राज्य विधानसभा को अनुदानों/विनियोगों के लिए मांग के रूप में प्रस्तुत की जाती है और इनके अनुमोदन के बाद समेकित निधि में से अपेक्षित धन के विनियोग प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा विनियोग बिल पारित किया जाता है।

हरियाणा में लागू पंजाब बजट मैनुअल बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को बजटीय अनुमान तैयार करने और इसके व्यय की गतिविधियों की निगरानी करने में मार्गनिर्देश देता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में दिया गया है।

### 1.4.1 वित्तों के स्नैपशॉट

तालिका 1.2 में वर्ष 2021-22 के वास्तविक वित्तीय परिणामों से बजट अनुमानों की तुलना के साथ 2020-21 के वास्तविक की तुलना का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.2: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (वास्तविक)	वास्तविक से बजट अनुमान की प्रतिशतता	वास्तविक से स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	48,351.39	60,162.10	63,099.32	104.88	7.04
	(i) स्वयं का कर राजस्व	41,913.80	52,887.50	53,377.16	100.93	5.96
	(ii) संघीय करों/शुल्कों का अंश	6,437.59	7,274.60	9,722.16	133.65	1.09
2	कर-भिन्न राजस्व	6,961.49	10,850.86	7,394.13	68.14	0.83
3	सहायता अनुदान एवं अंशदान	12,248.13	16,720.26	7,598.24	45.44	0.85
4	<b>राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)</b>	<b>67,561.01</b>	<b>87,733.22</b>	<b>78,091.69</b>	<b>89.01</b>	<b>8.72</b>
5	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	431.95	747.18	500.24	66.95	0.06
6	अन्य प्राप्तियां	62.96	5,000.00	67.15	1.34	0.01
7	उधार एवं अन्य देयताएं (क)	29,486.08	34,003.86	31,777.78	93.45	3.55
8	<b>पूँजीगत प्राप्तियां (5+6+7)</b>	<b>29,980.99*</b>	<b>39,751.04</b>	<b>32,345.17**</b>	<b>81.37</b>	<b>3.61</b>
9	<b>कुल प्राप्तियां (4+8)</b>	<b>97,542.00</b>	<b>1,27,484.26</b>	<b>1,10,436.86</b>	<b>86.63</b>	<b>12.33</b>
10	<b>राजस्व व्यय (ख)</b>	<b>89,946.60</b>	<b>1,16,927.17</b>	<b>98,425.03</b>	<b>84.18</b>	<b>10.99</b>
11	ब्याज भुगतान	17,114.67	19,776.42	18,361.60	92.85	2.05
12	<b>पूँजीगत व्यय</b>	<b>6,795.40</b>	<b>10,557.09</b>	<b>12,011.83</b>	<b>113.78</b>	<b>1.34</b>
	(i) पूँजीगत परिव्यय	5,869.70	9,317.66	11,045.56	118.54	1.23
	(ii) संवितरित ऋण एवं अग्रिम	925.70	1,239.43	966.27	77.96	0.11
13	आकस्मिक निधि का विनियोजन	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	<b>कुल व्यय (10+12+13)</b>	<b>97,542.00</b>	<b>1,27,484.26</b>	<b>1,10,436.86</b>	<b>86.63</b>	<b>12.33</b>
15	राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (4-10)	(-) 22,385.59	(-) 29,193.95	(-) 20,333.34	69.65	-2.27
16	राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+){(4+5+6)-14}	(-) 29,486.08	(-) 34,003.86	(-) 31,777.78	93.45	-3.55
17	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (16-11)	(-) 12,371.41	(-) 14,227.44	(-) 13,416.18	94.30	-1.50

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बजट एक नजर में।

(क) उधार एवं अन्य देयताएं: लोक ऋण के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक एवं अंतिम नकद शेष के निवल।

(ख) राजस्व खाते पर व्यय में ब्याज भुगतान शामिल हैं।

\* इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।

\*\* इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 7,393.79 करोड़ शामिल हैं।

वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे में अपर्याप्त शेष के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में क्रमशः ₹ 5,065.81 करोड़ और ₹ 2,908.67 करोड़ का वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा प्राप्त करने के अतिरिक्त हरियाणा राज्य को राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण भी प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं थी।

#### 1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का स्नैपशॉट

सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2022 तक ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का सार गत वर्ष की तत्कालीन स्थिति से तुलना को **परिशिष्ट 1.2** में दर्शाया गया है। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखों और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल होती हैं और परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष शामिल होते हैं जैसा कि **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं				परिसंपत्तियां					
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	प्रतिशत वृद्धि		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	प्रतिशत वृद्धि		
<b>समेकित निधि</b>									
क	आंतरिक कर्ज	2,03,958.21	2,26,208.23	10.91	क	सकल पूंजीगत परिव्यय	1,18,035.14	1,29,013.56	9.30
ख	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	5,851.97*	13,234.58*	126.16	ख	ऋण एवं अग्रिम	7,884.05	8,350.07	5.91
<b>आकस्मिक निधि</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>लोक लेखा</b>									
क	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	17,996.91	18,394.45	2.21	क	अग्रिम	0.74	0.74	0.00
ख	जमा	9,471.56	11,724.95	23.79	ख	प्रेषण	-	-	-
ग	आरक्षित निधियां	7,823.91	8,848.92	13.10	ग	उचंचत एवं विविध	24.24	0.00	(-) 100
घ	उचंचत एवं विविध शेष	0.00	241.40	-		नकद शेष (चिहिनत निधि में निवेश सहित)	3,147.94	4,946.11	57.12
ड	प्रेषण	312.85	314.60	0.56		कुल	1,29,092.11	1,42,310.48	10.24
						राजस्व लेखा में घाटा	1,17,323.30	1,37,656.65 <sup>2</sup>	17.33
<b>कुल</b>		<b>2,46,415.41</b>	<b>2,79,967.13</b>	<b>13.62</b>	<b>कुल</b>	<b>2,46,415.41</b>	<b>2,79,967.13</b>	<b>13.62</b>	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- \* इसमें वर्ष 2021-22 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़ शामिल हैं।

<sup>2</sup> पूर्णांकित करने के कारण ₹ 0.01 करोड़ शामिल हैं।

### 1.5 राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब सरकार एकत्र राजस्व से अधिक व्यय करती है तो यह घाटा होता है। ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को अधिकृत करते हैं।

घाटे का वित्तपोषण उधार द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए जिससे सरकारी ऋण में वृद्धि होगी। घाटे और ऋण की धारणाओं में निकट का संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण स्टॉक में वृद्धि करता है। यदि सरकार साल-दर-साल उधार लेना जारी रखती है तो इसके परिणामस्वरूप ऋण का संचय होगा और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ेगा। ये ब्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान करेंगे।

उधार लेकर सरकार कम हुए उपभोग का भार भावी पीढ़ियों पर स्थानांतरित कर देती है। यह इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बॉण्ड जारी करके उधार लेती है परंतु कुछ बीस वर्ष बाद कर बढ़ाकर या व्यय कम करके बॉण्ड्स चुकाने का निर्णय ले सकती है। साथ ही सरकार द्वारा लोगों से उधार लेने के कारण निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को भी कम करता है। इस हद तक कि यह पूंजी निर्माण और विकास को कम करता है, ऋण भावी पीढ़ियों पर 'भार' के रूप में कार्य करता है।

हालांकि, यदि सरकारी घाटे उनके उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य में सफल हों तो और अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। इस मामले में सरकार और उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। इसके अलावा, यदि सरकार मूलभूत संरचना में निवेश करती है, भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते ऐसे निवेश पर रिटर्न ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। तब ऋण को भार नहीं समझा जाएगा। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि से आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी द्वारा कम किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरों की बिक्री के माध्यम से भी प्राप्तियां बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हालांकि, अधिक बल सरकारी व्यय में कमी की तरफ ही रहा है। सरकारी गतिविधियों को कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 06 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को किसी विशेष वर्ष में प्रचलित राजकोषीय मापदंडों के साथ संरेखित करने के लिए, जैसा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा इसकी प्रदानगी अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए अनुमोदित किया गया है, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में राज्य सरकार द्वारा 30 मार्च 2022 को संशोधन किया गया था।

मुख्य राजकोषीय घटकों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, बजट प्रावधानों

तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन **तालिका 1.4** तथा **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.4: प्रक्षेपणों से प्रमुख तथा राजकोषीय संकेतकों में भिन्नताएं (स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता)**

राजकोषीय संकेतक	2021-22						
	15वें वित्त आयोग द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पांच वर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	प्रक्षेपणों से वास्तविकों की भिन्नता		
					15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पांच वर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 0.81	(-) 3.29	(-) 3.29	(-) 2.27	(-) 1.46	1.02	1.02
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-) 4.00	(-) 3.83	(-) 3.83	(-) 3.55	0.45	0.28	0.28
कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात*	31.20	25.92	25.92	29.47	(-) 1.73	3.55	3.55

\* वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

वित्त लेखों के अनुसार कुल बकाया ऋण अनुपात से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 30.78 प्रतिशत है। हालांकि, कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,745.79 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे को छोड़कर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (29.47 प्रतिशत) के लिए ऋण की गणना की गई है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।



**तालिका 1.5: 2021-22 के लिए वास्तविकों की तुलना में मध्य अवधि राजकोषीय नीति में प्रक्षेपण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी. के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक (2021-22)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1	स्व कर राजस्व	52,887.50	53,377.16	0.93
2	कर-भिन्न राजस्व	10,850.86	7,394.13	-31.86
3	केंद्रीय करों का हिस्सा	7,274.60	9,722.16	33.65
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	16,720.26	7,598.24	-54.56
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	87,733.22	78,091.69	-10.99
6	राजस्व व्यय	1,16,927.17	98,425.03	-15.82
7	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (5-6)	(-) 29,193.95	(-) 20,333.34	30.35
8	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 34,003.86	(-) 31,777.78	6.55
9	ऋण - स.रा.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत)	25.92	29.47	13.70
10	वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.00	18.08	13.00

\* वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से ₹ 11,745.79 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

चार्ट 1.4 तथा चार्ट 1.5 2017-22 की अवधि में घाटे के संकेतकों में रुझान प्रस्तुत करते हैं।



- राजस्व घाटा**, जो 2020-21 के दौरान ₹ 22,385 करोड़ था, 2021-22 में घटकर ₹ 20,333 करोड़ हो गया और यह ₹ 29,194 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से कम था।

₹ 20,333 करोड़ का राजस्व घाटा इंगित करता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूंजीगत सृजन की जगह वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।
- राजकोषीय घाटा** जो 2020-21 में ₹ 29,486 करोड़ था, 2021-22 के दौरान से बढ़कर ₹ 31,778 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा, मध्य अवधि राजकोषीय नीति और बजट प्रक्षेपणों में 3.83 प्रतिशत के नियत लक्ष्य के विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.55 प्रतिशत था।

- **प्राथमिक घाटा** 2020-21 में ₹ 12,371 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 13,416 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे की विद्यमानता इंगित करती है कि राज्य को अपनी उधार ली गई निधियों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी धन उधार लेने की आवश्यकता होगी।
- **प्राथमिक राजस्व शेष** राज्य की राजस्व प्राप्तियों और ब्याज भुगतानों रहित राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। यह आकलन करता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियां किस सीमा तक ब्याज का भुगतान करने में सक्षम थीं। 2021-22 में, राज्य में ₹ 1,972 करोड़ का प्राथमिक राजस्व घाटा दर्ज किया गया।

## 1.6 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

### 1.6.1 राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा न करने, नई पेंशन स्कीम में कम योगदान, ऋण शोधन और मोचन निधियों आदि के प्रभाव की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पेंशन स्कीम में कम योगदान, समेकित ऋण शोधन निधि में योगदान न होना, खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि और राजकीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ब्याज का समायोजन न होने के कारण राजस्व एवं राजकोषीय घाटा ₹ 737.14 करोड़ कम दर्शाया गया था, जैसा कि **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव (अवकथित) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (अवकथित) (₹ करोड़ में)	निवल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		निवल प्रभाव लेने के बाद अनुपात (प्रतिशत में)	
			राजस्व घाटा/ स.रा.घ.उ.	राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ.	राजस्व घाटा/ स.रा.घ.उ.	राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ.
परिभाषित अंशदाई पेंशन योजना में राज्य सरकार द्वारा कम अंशदान	3.06	3.06	(-) 2.27	(-) 3.55	(-) 2.35	(-) 3.63
समेकित ऋण शोधन निधि में कम अंशदान	686.04	686.04				
खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि को कम अंशदान तथा शेषों पर ब्याज समायोजित न करना	12.20	12.20				
राजकीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि शेषों पर ब्याज समायोजित न करना	35.84	35.84				
<b>कुल</b>	<b>737.14</b>	<b>737.14</b>				

स्रोत: वित्त लेखे

उपर्युक्त से राज्य सरकार के राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में राजस्व घाटा 0.08<sup>3</sup> प्रतिशत अंक से कम जबकि राजकोषीय घाटा भी 0.08 प्रतिशत अंक कम बताया गया।

<sup>3</sup> 0.01 का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

### 1.6.2 लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल देयताओं का अर्थ है राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के तहत देयताएं इसमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहनों और गारंटी सहित अन्य समकक्ष उपकरणों जहां मूल और/या ब्याज राज्य बजट में से निकाले जाने हैं। लंबित ऋणों/देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7: बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

समेकित निधि पर देयताएं (लोक ऋण)	राशि
<b>आंतरिक ऋण (क)</b>	<b>2,26,208.25</b>
ब्याज वाले बाजार ऋण	1,85,357.53
बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.02
प्रतिकर और अन्य बांड	22,490.00
बैंकों तथा अन्य संस्थानों इत्यादि से ऋण	10,391.75
केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	7,360.87
अन्य	608.08
<b>केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ख)</b>	<b>13,234.58*</b>
गैर-योजना ऋण	7.57
राज्य योजना स्कीमों के लिए ऋण	844.71
अन्य	12,382.30
<b>लोक लेखों पर देयताएं (ग)</b>	<b>36,809.56</b>
लघु बचत, भविष्य निधियां, इत्यादि	18,394.45
जमा	11,724.95
आरक्षित निधियां	6,134.16
उचंत एवं विविध शेष	241.40
प्रेषण शेष	314.60
<b>कुल (क+ख+ग)</b>	<b>2,76,252.39</b>

स्रोत: वित्त लेखे

\* इसमें वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को ₹ 11,745.79 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल हैं, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

राज्य के कुल लंबित ऋणों/देयताओं को उचंत, विविध एवं प्रेषण शेष के लेखों में सम्मिलित न करके ₹ 556 करोड़ कम दर्शाया गया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता 0.06 प्रतिशत कम दर्शाई गई है। बकाया ऋण का अनुपात सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 29.47<sup>4</sup> प्रतिशत है जिसमें उचंत तथा प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा कुल देयताओं का अनुपात मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी और बजट के अंतर्गत 25.92 प्रतिशत के मानक निर्धारण की तुलना में 29.53 प्रतिशत की दर अधिक था।

<sup>4</sup> वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

इसके अतिरिक्त हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.एच.सी.एल.) ने राज्य सरकार की गारंटी के विरुद्ध हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) से ₹ 550 करोड़ (अक्टूबर 2015) और ₹ 300 करोड़ (जनवरी 2011) की राशि के दो ऋण जुटाए। गृह विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार मूलधन एवं ब्याज का पुनर्भुगतान ऋण अनुबंध के अनुसार किया जाएगा तथा राज्य सरकार हुडको को पुनर्भुगतान करने के लिए ब्याज सहित ऋण अनुबंध में निर्धारित राशि के अनुसार बजट में वार्षिक आवंटन करेगी। इसके अलावा, वित्त विभाग मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड को अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों में ऋण के मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राशि जारी करना बजट एवं लेखों में सहायता अनुदान के रूप में दिखाया गया है जो कि हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2022 को हुडको के प्रति हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड की लेखा बहियों में ₹ 342.05 करोड़ के इन बकाया ऋणों के कारण राज्य के लेखों में सरकारी देयताओं को कम बताया गया।

वर्ष 2021-22 के दौरान हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष के आरंभ अर्थात् 01 अप्रैल 2021 में ₹ 405.75 करोड़ के बकाया ऋणों के विरुद्ध हुडको को इन ऋणों के लिए ₹ 85 करोड़ (₹ 55 करोड़ + ₹ 30 करोड़) की राशि का पुनर्भुगतान किया। वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च 2022 को ₹ 342.05 करोड़ का बकाया ऋण शेष छोड़ते हुए वर्ष के दौरान ₹ 21.30 करोड़ के ऋण जुटाए गए।